



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-10-06-2024

विषय--ऑपरेशन कन्विकशन के तहत अभियुक्त अखिलेश शर्मा उर्फ पिन्टू शर्मा को धारा-414 भादवि में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 13/2006 धारा- 414 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश शर्मा उर्फ पिन्टू शर्मा पुत्र गनेश शर्मा निवासी फुलवरिया थाना कैण्ट वाराणसी को थाना सिगरा पुलिस व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 10-06-2024 को मा0 न्यायालय JM-2 जनपद वाराणसी द्वारा धारा-414 भादवि में दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त अखिलेश शर्मा उर्फ पिन्टू उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व कुल 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन अतिरिक्त का साधारण कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-वाराणसी